

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर


क्रमांक: ई-33/नियु/ग्रा.लै.टे./1185/09/660

दिनांक: 18-5-09

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/नियु/ग्रा.लै.टे./1185/09/182 दिनांक 28.2.09 के द्वारा ग्रामीण लैब टैक्नीशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये थे। आम चुनाव - 2009 की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण कार्यग्रहण अवधि निदेशालय के आदेश क्रमांक-203 दिनांक 13.3.09 के द्वारा दिनांक 25.5.09 तक बढ़ाई गई थी।

चयनित अभ्यर्थी जो आम चुनाव -2009 की आचार संहिता के प्रभावी होने की वजह से कार्यग्रहण करने से वंचित रह गये थे, उन्हे अब कार्यग्रहण कराने की अनुमति दी जाती है, साथ ही कार्यग्रहण की अंतिम तिथि 25.5.09 से बढ़ा कर दिनांक 8.6.09 की जाती है।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज0 जयपुर

क्रमांक: ई-33/नियु/ग्रा.लै.टे./1185/09/660

दिनांक: 18-5-09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वा0/प0क0/एडस) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन
5. समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 8.6.09 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना विशेष वाहक के साथ दिनांक 10.6.09 को आवश्यकरूप से निदेशालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी सर्वर रूप, निदेशालय।
7. आदेश पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज0 जयपुर